

27.8.25

पत्रावली पेश हुई।

प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथीगण एकतरफा।

आवेदन पत्रा पर प्राथी वकील की बहस सुनी गई।

वकील प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वारंटों आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्राथीगण ने तर्क दिया कि प्राथीगण का राजस्व वा संख्या 202/2023 अनवान हरचंदराम बनाम आमबाराम वर्गस के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 22.04.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में प्राथीगण के अधिवक्ता बार एसोसियेशन की ज़िताल की वजह से अदालत में उपस्थित नहीं पाये और इस बात की सूचना प्राथीगण को भी नहीं दे सके, इसलिए उस रोज प्राथीगण भी उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 22.04.2025 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्राथीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस प्रकार वादीगण का दावा मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्राथीगण के साथ अन्याय हो जायेगा। अतः न्यायहित में प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमाये जावे।

हमने वकील प्राथीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिश्रेष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्राथीगण का आवेदन दिनांक 22.04.2025 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्राथीगण एवं प्राथीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्राथीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्राथीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्राथीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हफूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेदन के उपरान्त न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्राथीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

सहायक जज

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी. पी.सी. वास्तों आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2025 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो एवं नम्बर से कम हो।

3  
सहायक कमिश्नर  
SDO सिणघरी